



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 492

दिनांक : 6/3/17

प्रति,

डीन,  
आर.डी.गार्डी, चिकित्सा महाविद्यालय,  
ग्राम-सुरासा, आगर रोड़, उज्जैन।

**विषय :** विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

**संदर्भ :-** महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरंतरता आवेदन क्रमांक / 11, दिनांक 21.03.2016


शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01.03.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम
01.	एम.बी.बी.एस.,
02.	एम.डी.- (पैथोलॉजी, माईक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्प्यूनीटी मेडिसीन, जनरल मेडिसीन, पेडीट्रीक्स, रेडीयो डायग्नोसिस, टी.बी.एण्ड चैस्ट, डर्मेटोलॉजी, फिजीकेट्री, फिजीयोलॉजी, एनेस्थियोलॉजी, बॉयोकेमेस्ट्री)
03.	एम.एस.- (ई.एन.टी., जनरल सर्जरी, ओब्स्टेट गायने, ऑर्थोपेडिक्स, एनॉटोमी, आथेमोलॉजी)

**शर्त :-** 1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शेष रिक्त पदों की पूर्ति की जाये।

उपरोक्त दर्शाई गई शर्त की पूर्ति आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता-निरंतरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

  
कुलसचिव

दिनांक : 6/3/17

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 492

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।

निरंतर...02



## विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3250

दिनांक :- 20-7-16

-:: सूचना :-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

- A महाविद्यालय का नाम :- आर.डी.गाडी. चिकित्सा महाविद्यालय, गाम-सुरसा, आगर रोड, उज्जैन।
- B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एम.बी.बी.एस.  
पाठ्यक्रम कंडक्टर → (2) एम.एस.सी. (मेडिकल एनॉटेंसी, मेडिकल फिजीयोलॉजी, मेडिकल बायोकैमिस्ट्री)  
(3) एम.डी./एम.एस. - (एम.डी.-पैथॉलॉजी, एम.डी.-माईक्रोबायोलॉजी,  
एम.डी.-फार्माकोलॉजी, एम.डी.-कम्यूनीटी मेडिसीन, एम.डी.-जटल मेडिसीन, एम.डी.-पेडीट्रीक्स, एम.डी.-रेडियोलॉजी, एम.डी.-डायग्नोस्टिक्स, एम.डी.-टी.बी. एण्ड चेस्ट, एम.डी.-डर्मेटोलॉजी, एम.डी.-फिजिकैट्री, एम.डी.-फिजीयोलॉजी; एम.डी.-ऐनेस्थियोलॉजी, एम.डी.-बायोकैमिस्ट्री)  
(एम.एस.-ई.एन.टी., एम.एस.-जनरल सर्जरी, एम.एस.-ओब्स्टेट गायने, एम.एस.-ऑर्थोपेडिक्स, एम.एस.-एनॉटेंसी, एम.एस. आयेमोलॉजी)

C समिति के सदस्यों के नाम :-

- ✓01. डॉ. चन्देश शुक्ला - कार्यपरिषद् सदस्य, चिकित्सा विश्वविद्यालय, जबलपुर।  
02. डॉ. विनय जिन्दल - शा. चिकित्सा महाविद्यालय, गोवा।  
✓03. डॉ. ओ.पी.वास - आचार्य, शा.धन्वन्तरि आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वास्तु शैक्षणिक/शैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाएं अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कुपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडियोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडियोग्राफी के स्तर का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

प्रो. इंवारज (अकादमिक)

निरंतर...02